NIRMAN BUILDERS

हमारा सपना
एक घर हो
आपका अपना

UTSAV

'मुख्यमंत्री जन आवास योजना' के अन्तर्गत

RERA Registration No.: RAJ/P/2024/3425 | RERA Website : www.rera.rajasthan.gov.in

रजिस्ट्रेशन फॉर्म

आवेदन क्रमांकः..........................

मूल्य- ₹250/-

Site Address: Utsav, 200Ft Road, Ghiloth

UTSAV

मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के अन्तर्गत मकान प्राप्ति के विशेष लाभ

1. लाभार्थी को बैंक से आसान ऋण सुविधा उपलब्ध होने के कारण एकमुश्त पैसा जुटाने की आवश्यकता नहीं होगी।
2. आवेदक को 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के अन्तर्गत **6.5%** ब्याज सब्सिडी **(6,00,000** रूपये तक के लोन पर) उसके लोन खाते में नैशनल हाउसिंग बैंक **(NHB/HUDCO)** द्वारा दी जायेगी।
3. इस योजना में फ्लैट/घर खरीदने पर आवेदक को धन और समय की बचत के अलावा निर्माण संसाधन जुटाने से भी आजादी मिलेगी।
4. इस योजना में निर्मित फ्लैटों/घरों को अनुभवी अभियन्ताओं के निर्देशन में बनाया जायेगा।
5. इस योजना में होने के कारण फ्लैट/घर अच्छी लोकेशन पर होने के बावजूद सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाये जायेंगे।
6. इस योजना के अन्तर्गत **EWS** फ्लैट/घर एवं **LIG** फ्लैट/घर की स्टाम्प ड्यूटी की न्यूनतम राशि राज्य सरकार द्वारा प्रचलित एवं निर्धारित दरों पर देय होगी।

आवेदन क्रमांकः..................

।। श्री गणेश ।।

पंजीयन योजना

**पंजीयन योजना आर्थिक दृष्टि से कमजोर
व
अल्प आय वर्ग के फ्लैटों के लिये**

मुख्य बिन्दु

1. जिस आय के लिये आवेदन किया जा रहा है, उसके अनुसार पंजीयन की पूर्ण राशि का बैंकर चैक/डी.डी. जो ....के पक्ष में जयपुर स्थित किसी भी बैंक में देय हो, आवेदन पत्र के साथ मय चालान की प्रति संलग्न कर दिया गया है। ☐

2. आय का प्रमाण पत्र/शपथ पत्र संलग्न कर दिया है। ☐

3. आवेदन पत्र पूर्ण भर दिया है जो भी सूचना मांगी गयी है सभी पूर्ण कर दी है। ☐

4. प्रत्येक की पहचान के लिये आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड/ भामाशाह कार्ड/ मतदाता पहचान कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस/पैन कार्ड इत्यादि की प्रति लगा दी गई है। ☐

5. यह योजना मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत है। अतः सभी नियम व शर्तें उक्त योजना के अनुसार लागू होंगे। ☐

6. ब्याज सब्सिडी केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जो कि नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा ऋण खाते में सीधे जमा की जायेगी। ☐

फॉर्म मिलने व जमा कराने का स्थान

....

....

....

....

हस्ताक्षर आवेदक   हस्ताक्षर संयुक्त आवेदक

लोन एवं सब्सिडी

ई डब्ल्यू एस/एल आई जी

1. भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशानुसार ऋण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और अल्प आय वर्ग (LIG) के लाभार्थी को बैंक से ऋण प्राप्ति पर 6.5 प्रतिशत की दर पर 20 वर्षों की अवधि के लिए अथवा ऋण अवधि के दौरान, इसमें जो कम हो, के लिए ब्याज सब्सिडी के पात्र होंगे। ब्याज सब्सिडी का शुध्द वर्तमान मूल्य (एनपीबी) ऋण संस्था के माध्यम से अग्रिम रूप से लाभार्थी के ऋण खाते में जमा करा दी जाएगी।

2. EWS/LIG के व्यक्तियों को दिये जाने वाले ऋण के अधिकतम 6,00,000/– रूपये पर ही ब्याज अनुदान देय होगा। 6,00,000/– रूपये से अधिक की ऋण राशि अनुदान रहित होगी। ई डब्ल्यू एस/एल आई जी बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कम्पनीज और अन्य ऐसी संस्थाओं से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और कम आय ग्रुप के गृह ऋण के आवेदक 6 लाख तक के लोन के लिए 20 वर्ष या लोन अवधि (जो भी कम हो) के लिए ब्याज में 6.5% की दर से छूट के पात्र होंगे।

3. ब्याज सब्सिडी 9 % एन पी वी पर अधिकतम 20 साल या वास्तविक लोन अवधि (जो भी कम हो) के आधार पर परिकलित की जाएगी। 9 लाख और 12 लाख से अधिक लोन बिना सब्सिडी की दरों पर मुहैय्या करवाये जायेंगे।

सामान्य शर्तेः–

1. ऋण आधारित सब्सिडी केन्द्र सरकार के द्वारा प्रायोजित है जिसके लिए कम्पनी का कोई दायित्व नहीं है।
2. ऋण आधारित सब्सिडी सीधे ऋणी के खाते में नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा प्रेषित करने पर जमा हो जायेगी।
3. ऋण बैंक की शर्तों के अनुसार अधिकतम 90 प्रतिशत तक मिल सकता है।
4. ऋण के लिये बैंक की शर्तें लागू होंगी।
5. सेल्फ फाईनेंस और लोन के लिए पात्रता न होने की स्थिति में पात्र आवेदक को स्वयं के स्त्रोतों से अदा करने के लिए एफिडेविट जमा करवाना आवश्यक है।
6. आवेदक द्वारा बैंक की कार्यवाही स्वयं के स्तर पर होगी, उपरोक्त जानकारी केवल सूचनार्थ है।
7. आवंटी को फ्लैट खरीदने का दायित्व उसके ऋण मिलने/अथवा न मिलने पर आश्रित नहीं रहेगा।

....

हस्ताक्षर आवेदक हस्ताक्षर संयुक्त आवेदक

आवेदन क्रमांकः..................

पंजीकरण की पात्रता एवं शर्तें

।। श्री गणेश ।।

मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के अन्तर्गत पंजीकरण की पात्रता एवं शर्तेः

1. आवेदक / संयुक्त आवेदक की आयु आवेदन भरने की तिथि को 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

2. इस योजना के अन्तर्गत आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, आवेदन के समय मूल निवास का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा या मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करवानी होगी अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

   (1) यदि राजस्थान निवासी के उचित आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो वो भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं जो कि पिछले 1 वर्ष से अधिक समय से उस शहर अथवा कस्बे में निवास कर रहा हो, जहां के लिए आवेदन किया है एवं आवेदनकर्ता को उसके लिए शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी।

3. इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशानुसार लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय उसकी श्रेणी के अनुसार निम्न प्रकार से होनी चाहिएः
   EWS (Economically Weaker Section) Upto 3 Lacs
   LIG (Lower Income Group) 3 Lacs to 6 Lacs

4. आवेदक की आय वर्ग निर्धारण करने के लिए आय की संगणना वित्तीय वर्ष ....की प्रमाणित वार्षिक सकल आय पर निर्भर होगी। आवेदक की कुल वार्षिक आय में पति–पत्नी तथा आश्रितों की कुल वार्षिक आय को सम्मिलित किया जायेगा। कुल आय में निम्नांकित स्त्रोतों से हुई आय सम्मिलित होगी।

   (अ) स्वयं के लिए–
   1. वेतन 2. विशेष वेतन
   3. महंगाई भत्ता तथा अतिरिक्त मंहगाई भत्ता
   4. शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता 5. गृह / सम्पति / व्यापार से आय
   6. विनियोग से ब्याज
   7. कोई अन्य आय जो आयकर के प्रयोजनों हेतु आय के रूप में हो।
   (ब) आवेदक की पत्नी / पति की आय उपरोक्तनुसार
   (स) आवेदक की आश्रित की आय उपरोक्तनुसार

5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के अन्तर्गत आवेदक के पास लीज होल्ड या फ्री होल्ड स्वयं के, पत्नी के और किसी आश्रित सदस्य (अविवाहित बच्चों सहित) के नाम शहरी क्षेत्र में मकान या प्लाट न हो जिसका शपथ पत्र आवंटी को देना होगा।

....

हस्ताक्षर आवेदक हस्ताक्षर संयुक्त आवेदक

6. वार्षिक आय (पति/पत्नी/आश्रितों की आय) के आधार पर आवंटन हेतु पंजीकरण के लिए पात्रता एवं आय नीचे दी गयी वर्ग तालिका में दर्शाई गई है।

- Tower A (G+6) & B (G+7)

S.No.	TYPE (A (G+6) & B (G+7)	SALEABLE AREA	PRICE	BOOKING AMOUNT (10%)
1	3 BHK	900 Sqft.	25,00000	25,0000
2	2 BHK	670 Sqft.	18,00000	18,0000
3	1 BHK	410 Sqft.	11,00000	11,0000

*उपरोक्त मूल्य के अलावा GST लगेगा

7. आवंटित आवास के कब्जा प्राप्त करने के समय आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आयु वर्ग फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए नियमानुसार मुद्रांक देय होगा। जो कि समय–समय पर सरकार के निर्देशानुसार/नियमानुसार प्रचलित दर पर देय होगी। आवंटित आवास के सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र/लीज डीड के पंजीयन हेतु समस्त खर्चा आवंटी द्वारा आवास की कीमत के अतिरिक्त वहन किया जायेगा।

8. वेतनभोगी आवेदकों को अपने नियोक्ता का प्रमाणित आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। गैर वेतनभोगी (स्व–रोजगार) आवेदकों को तहसीलदार/म्यूनिसिपल ऑफिसर/एसडीओ अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा स्व–सत्यापित शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो नोटरी से सत्यापित होना चाहिए।

9. शारीरिक रूप से विकलांग आवेदकों को एवं वरिष्ठ नागरिक आवेदकों को भूतल एवं नीचे तल पर आवास में प्राथमिकता दी जायेगी।

10. ब्याज सब्सिडी लाभार्थी को प्रधानमंत्री आवास योजना–2016 के प्रावधानों के अनुसार प्रदान की जायेगी जिसकी प्राप्ति के लिये फ्लैट/यूनिट के आवंटन के लिये आवेदन परिवार के महिला सदस्य के नाम से ही किया जा सकेगा

....

हस्ताक्षर आवेदक   हस्ताक्षर संयुक्त आवेदक

या फिर परिवार के पुरूष सदस्य व महिला सदस्य के संयुक्त नाम से किया जा सकेगा। जिस परिवार में यदि कोई भी व्यस्क महिला नहीं है केवल और केवल उसी स्थिति मे फ्लैट यूनिट का आंवटन परिवार के पुरूष सदस्य के नाम से किया जा सकेगा।

11. इस योजना के अन्तर्गत पति अथवा पत्नी एवं आश्रितों में से कोई एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अथवा संयुक्त रूप से एक ही फ्लैट आवंटन की पात्रता रखेगा।

12. इस योजना के अन्तर्गत आवंटित मकान का कब्जा प्राप्त होने के 1 साल के भीतर आंवटी को रहने आना होगा अन्यथा आवंटन निरस्त कर किसी अन्य को आवंटित कर दिया जाएगा।

13. कम्पनी द्वारा एक शहर में एक ही समय विभिन्न वृतों में एक साथ योजनाएं आरम्भ करने पर कोई भी व्यक्ति सभी योजनाओं में आवेदन की पात्रता रखेगा, परन्तु एक से अधिक योजना में आरक्षित होने पर उसे किसी एक योजना में आवास प्राप्त करने का विकल्प आवश्यक रूप से देना होगा। आवेदन द्वारा उक्त तथ्य छिपाने पर यदि यह तथ्य जानकारी में आयेगा तो एक आवास स्वयं/स्वतः निरस्त योग्य रहेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इस आशय का उल्लेख आवेदक को शपथ पत्र में भी करना अनिवार्य होगा।

14. प्रस्तावित योजना में किसी संस्था/कम्पनी/एल.एल.पी./साझेदारी के नाम से भरा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

15. यदि कोई पूर्व पंजीकृत आवेदक जिसे कम्पनी द्वारा आवेदन की तिथि तक आवास का आंवटन नहीं किया हैं और यदि वह इस योजना में आवेदन करता है तो उसकी पूर्व निर्धारित वरीयता के आधार पर आवास आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी। इस बाबत् आवेदक अपने पूर्व पंजीकरण एवं वरीयता क्रमांक का उल्लेख फार्म में करेगा तथा शपथ–पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि उसका पूर्व पंजीकरण निरस्त किया गया है तथा न ही उसे कोई आवास आवंटित किया गया है।

16. यदि वर्तमान एवं कालान्तर में आवेदक के द्वारा दिये गये दस्तावेज/सूचनाएं गलत, झूठी अथवा असत्य पाई जाती हैं तो उस आवेदक का पंजीकरण/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही बिना कोई कारण बताए नोटिस निरस्त कर दी जायेगी तथा कम्पनी के प्रचलित नियमानुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।

17. आवासीय इकाई से सम्बन्धित सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं के प्रयोग तथा रख–रखाव के लिए प्रत्येक आवंटी को, आवंटियों की एक पंजीकृत संस्था (रजिस्टर्ड सोसायटी) का सदस्य होना अनिवार्य होगा। सोसायटी के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा एवं आवंटी को सोसायटी के रख–रखाव हेतु निर्धारित मासिक शुल्क देना होगा। इस सन्दर्भ में आवेदनकर्ता को आवास का कब्जा लेते समय शपथ पत्र देना होगा। हर आवंटी को परियोजना के रख–रखाव के लिए 80 रूपये प्रति वर्ग फीट की दर से सोसायटी के

....

हस्ताक्षर आवेदक हस्ताक्षर संयुक्त आवेदक

कॉर्पस फण्ड के लिए, फ्लैट का कब्जा लेते वक्त देना होगा, जो कि फ्लैट की कीमत के अतिरिक्त होगा। उक्त कॉर्पस फण्ड सोसायटी के खाते में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

18. आवेदकों की वरीयता एवं आवंटन सूची कम्पनी के द्वारा जारी की जायेगी।

19. यदि कम्पनी द्वारा आवेदनकर्ता के आवेदन को किसी भी कारण, जैसे कमी/चूक/अधूरा प्रपत्र/प्रात्रता की कमी/आवेदन पत्र व मुख्यमंत्री आवास योजना–2015 के नियमों को उल्लघंन आदि की वजह से अस्वीकार किया जाता है, तो 20 प्रतिशत पंजीकरण राशि की कटौती करते हुए शेष पंजीकरण राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।

20. इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्गानुसार विकल्पानुसार प्रत्येक आय वर्ग में उपलब्ध आवासों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लॉटरी द्वारा वरीयता निर्धारित कर दी जायेगी। लॉटरी के पश्चात् शेष असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा पंजीकरण राशि का रिफण्ड (बिना ब्याज) रेखांकित चैक से उनके आवेदन पत्र में अंकित पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेज दिया जायेगा।

21. प्राकृतिक आपदा एवं सरकारी घटनाक्रम के कारण प्रोजेक्ट में देरी होती है तो कम्पनी जिम्मेदार नहीं होगी।

22. रिफण्डः

(1) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात तथा वरीयता लॉटरी के आवेदन से पूर्व यदि कोई आवेदक योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से कटौती नहीं करते हुए पंजीकरण राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।

(2) यदि आवेदक पूर्वग्रहण (मांग पत्र) राशि का पत्र जारी होने के पश्चात राशि लौटाने का निवेदन करता है तो पंजीकरण राशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।

(3) असफल आवेदक की राशि चैक द्वारा बिना ब्याज के लॉटरी के 30 दिन के भीतर रजिस्टर्ड डाक/कुरियर के द्वारा भेज दी जायेगी।

(4) राज्य सरकार अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी के द्वारा भूमि आवप्ति प्रक्रिया के अन्तर्गत यदि योजना की भूमि को अवाप्त कर लिया जाता है तो आवेदक को उसकी समस्त राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।

23. प्रस्तावित योजना में यदि अपरिहार्य कारणों से अंतिम लॉटरी निकलने के छः माह में फ्लैटों का निर्माण कार्य चालू नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को उनकी पंजीकरण राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।

24. आवास आवंटन लॉटरी के कार्यक्रम की घोषणा समाचार पत्र के माध्यम से और कम्पनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जायेगी। इसमें आवेदक द्वारा आरक्षण राशि की देय किश्तें जमा करवाकर चालान की प्रतियां कार्यक्रम की निर्धारित अवधि में कार्यालय में प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमानुसार आवंटन लॉटरी में सम्मिलित किया जायेगा।

....

हस्ताक्षर आवेदक हस्ताक्षर संयुक्त आवेदक

25. आवेदक को लॉटरी द्वारा आवास आवंटित किये जाने के पश्चात आवास की देय बकाया राशि जमा कराने हेतु मांग पत्र सूचित किया जायेगा। उक्त मांग राशि 30 दिवस में जमा करानी होगी। राशि जमा नहीं कराने पर आवास स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा नियमानुसार कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के आवेदनकर्ता के पते पर रजि. डाक द्वारा/कुरियर के जरिये रेखांकित चैक के द्वारा भेज दिया जायेगा।

26. इस योजना में आवंटी को आवंटित फ्लैट का कब्जा मिलने के पश्चात् केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य विधिक संस्था द्वारा मांगे जाने पर समस्त करों का भुगतान करना होगा जैसे आवास सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, विकास कर इत्यादि। इसके अतिरिक्त योजना के निवासियों को पंजीकृत सोसायटी द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों का पालन करना, साथ ही सोसायटी द्वारा निर्धारित शुल्क व अन्य शुल्क आवंटी को वहन करने होंगे।

27. यदि आवेदक, शपथ पत्र/आवेदन पत्र में कोई गलत सूचना देता है या कोई तथ्य छिपाता है तो उसका पंजीकरण तुरन्त रद्द कर दिया जायेगा। यदि आवास का आवंटन हो गया हो तो भी कम्पनी उसके आवंटन को रद्द करने तथा आवास का कब्जा वापस लेने के लिए सक्षम होगी। आवेदक की जमा राशियों में से नियमानुसार कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।

28. कम्पनी और सफल आवेदकों के मध्य विक्रय अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा।

29. किसी नुकसान के होने से या वस्तुओं के चोरी हो जाने से बचने की दृष्टि से, निम्नांकित फिटिंग/फिक्सचर आदि का कार्य कम्पनी द्वारा आवंटी को कब्जा देने की सूचना के एक माह के भीतर पूर्ण कर दिया जायेगा :

1. विद्युत फिटिंग/फिक्सचर 2. सेनेटरी फिटिंग
3. अंतिम रंग–यदि कब्जा देने से पूर्व नहीं की गई हो

30. कम्पनी अपनी योजनाओं/आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन कर सकती है जिसके परिणामस्वरूप यदि कोई अतिरिक्त कार्य/व्यय करवाया जाता है तो ऐसा व्यय आवंटी को वहन करना होगा। विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होने पर अथवा अपरिहार्य कारणों से कम्पनी योजना में प्रस्तावित स्थान में फ्लैट नहीं देने की स्थिति में उसी शहर की अन्य योजनाओं में फ्लैट उपलब्ध करवाने के लिए कम्पनी स्वतंत्र होगी तथा इसी विषय में आवंटी का कोर्ट विवाद स्वीकार्य नहीं होगा। आवंटित किये जाने वाले फ्लैट प्रस्तावित डिजाईन/स्पेसिफिकेशन/साईज आदि में परितर्वन किये जाने का कम्पनी को पूर्ण अधिकार होगा।

31. पंजीकरण/आवंटन कम्पनी द्वारा बनाये गये नियमों/आदेशों/उप–बन्धों/परिपत्रों के तहत होगा। कम्पनी अपने द्वारा बनाये गये नियमों, आदेशों एवं परिपत्रों को बनाने/परिवर्तन करने के लिए पूर्णतः सक्षम होगी और ये पंजीकृत आवेदकों/आवंटियों के लिए पूर्णतया लागू होंगे।

....

हस्ताक्षर आवेदक   हस्ताक्षर संयुक्त आवेदक

32. इस योजना में आवंटी को स्वयं सम्पत्ति की परिस्थितियों में पूर्णतः होना चाहिये और बाद में किसी आगामी स्टेज पर सम्पत्ति की परिस्थितियों के सम्बन्ध में शिकायत करने, आपत्ति उठाने या मांग करने का अधिकार नहीं होगा।

33. आवंटी फ्लैट के आवंटन की तारीख से 10 वर्ष तक विक्रय नहीं कर सकता अगर 10 वर्ष के भीतर बेचा तो आवंटन निरस्त किया जाएगा।

34. पंजीकरण की राशि बैंक डी.डी. / बैंकर चैक के द्वारा जमा की जायेगी। बैंक डी.डी. / बैंकर चैक का पूर्ण विवरण अर्थात संख्या, दिनांक तथा सम्बन्धित बैंक जिससे बैंक डी.डी. / बैंकर चैक कम्पनी के पक्ष में देय होना आवश्यक है। आवेदन–पत्र संलग्न चालान, बैंक डी.डी. तथा वांछित दस्तावेजों सहित डाक या स्वयं के द्वारा बैंक में / कम्पनी के कार्यालय में निर्धारित दिनांक तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात पंजीकरण आवेदन फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा।

35. (अ) आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना कम्पनी के पते पर रजिस्टर्ड डाक से दें। पते में परिवर्तन की विधिवत सूचना नहीं देने के कारण अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदक को प्राप्त नहीं होने की दशा में कम्पनी द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। पता परिवर्तन करवाते समय वांछित दस्तावेजों की छायाप्रतियों के साथ पूर्ण वरीयता क्रमांक अवश्य लिखें। कम्पनी द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारोक्ति के पश्चात ही पता परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस सम्बन्ध में कम्पनी से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में सम्बन्धित कार्यालय से पता परिवर्तन किए जाने की जानकारी प्राप्त कर लें।

(ब) आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्य जन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में कम्पनी द्वारा जारी पत्राचार प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त नहीं होने के लिए कम्पनी उत्तरदायी नहीं होगी। ऐसी स्थिति में आवेदकों को परामर्श है कि वह समय–समय पर कम्पनी के सम्बन्धित कार्यालय से सम्पर्क करते रहें तथा समाचार पत्रों द्वारा जानकारी प्राप्त कर लें।

36. अगर कम्पनी परियोजना / परियोजना भूमि के लिए बीमा करवाती है तो हर आवंटी की बीमा राशि को फ्लैट क्षेत्रफल के अनुसार वहन करनी होगी।

37. वित्तीय सुविधायें– कम्पनी से मकान लेने वाले आवंटी वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकते हैं। इस बाबत् कम्पनी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र / त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र जारी किए जायेंगे।

38. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं की पहचान एवं निवास के पते का प्रमाण तथा पैन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदान पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पास बुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटोयुक्त दस्तावेज में से (वांछित दस्तावेजों की) एक–एक स्व–हस्ताक्षरित / सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा।

....

हस्ताक्षर आवेदक | हस्ताक्षर संयुक्त आवेदक

39. आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा केवल पत्र व्यवहार का पता अंकित किया जाए तथा आवेदन पत्र पर केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए जो इस योजना के अन्तर्गत आवास लेना चाहता है।

40. आवेदक एवं सह आवेदक का बैंक खाता होना अनिवार्य है।

41. आवेदन पत्र में किसी विवरण को हटाने, मिटाने या उसके ऊपर काटकर दुबारा लिखना निषेधित है। अतः आवेदनकर्ता को परामर्श है कि आवेदन पत्र को भरते वक्त पूर्ण सावधानी बरतें तथा उपरोक्त स्थिति में आवेदक स्वयं पूर्ण हस्ताक्षर करें।

42. कम्पनी द्वारा समय–समय पर मांगे गये शपथ पत्र/वचनबद्वता/अन्य आवेदन/अन्य प्रपत्र इत्यादि स्व हस्ताक्षरित हों एवं आवेदक द्वारा उन पर अपना नवीनतम फोटो लगाते या चिपकाते हुए उन्हें नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक से सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा।

43. राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं नियंत्रण कमेटी (State Level Sanctioning and Monitoring Commitee) द्वारा समय–समय पर लिये गये निर्णय मान्य होंगे।

44. आवेदक इस बात की पुष्टि करता है कि उसने इस आवेदन पत्र के प्रत्येक खण्ड को समझ लिया है एवं इन खण्डों से उत्पन्न होने वाले कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व और कम्पनी के कर्तव्य एवं सीमाओं को समझ लिया है। आवेदक कम्पनी, प्रतिनिधि, एजेंट को इस आवेदन पत्र की किसी भी शर्त का पालन नहीं करने से होने वाले नुकसान से क्षतिकारित एवं हानि रहित रखेगा।

45. पंजीकरण राशि डी.डी./बैंकर चैक द्वारा ही स्वीकृत की जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई नकद लेन–देन नहीं होगा।

46. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्र –

(1) आय प्रमाण–पत्र एस.डी.ओ./तहसीलदार नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका के समक्ष अधिकारी द्वारा सत्यापित देना होगा।

(2) आवेदक के स्वयं का, पत्नी का, उनके आश्रित का राजस्थान के किसी शहर मे ंआवास या भूखण्ड नहीं होने बाबत् शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होने का बोनाफाइड प्रमाण पत्र

(4) पहचान पत्र की सत्यापित प्रति (5) आधार कार्ड की सत्यापित प्रति

(6) देय राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट (7) सोसायटी की देय राशि के लिए शपथ पत्र

(8) अन्य प्रमाणपत्र जो भी हो (9) आई टी आर फाईल की सत्यापित प्रति

(10) पैन कार्ड की सत्यापित प्रति (11) 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट

....

हस्ताक्षर आवेदक हस्ताक्षर संयुक्त आवेदक

47. सम्बन्धित लागू अधिनियमों को ध्यान में रखते हुए पंजीकरण/आवंटन कम्पनी द्वारा बनाए गए नियमों, आदेशों और उपबन्धों के तहत होगा।

48. मैं/हम इस बात का वचन देता हूँ/देते हैं कि उपर लिखित नियम एवं शर्तों का पालन करेगें और यह घोषित करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत जानकारी मेरे/हमारे ज्ञान एवं भरोसे के अनुसार पूर्ण एवं सही है । यदि कोई जानकारी गलत पाई जाती है या भुगतान करने में चूक कर देते हैं तब कम्पनी पंजीकरण/बुकिंग निरस्त कर सकती है एवं इस आवेदन पत्र के नियमों के अनुसार किये गये भुगतान को अपने स्वविवेक से जब्त कर सकती है।

महत्वपूर्ण बिन्दु

1. किसी भी व्यक्ति को कम्पनी नकद लेने के लिए अधिकृत नहीं करती है। कृपया लेन–देन नहीं करें।
2. आवास कब्जे के बाद आवास का रख–रखाव स्वयं आंवटी द्वारा किया जायेगा।
3. योजना के तहत कोई भी न्यायिक विवाद जयपुर जिला की सीमा के अन्तर्गत ही होगा।
4. लॉटरी द्वारा जो भी फ्लैट आवंटित होगा उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।
5. यह योजना मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत है अतः राज्य सरकार द्वारा बनाये गये प्रावधान लागू होंगे।
6. इस आवेदन पत्र के अलावा विकासकर्ता ने अन्य प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष आश्वासन नहीं दिया है अतः इस आवेदन पत्र की शर्तों के अलावा अन्य किसी व्यक्ति अथवा विक्रय प्रतिनिधि द्वारा किया गया कोई भी वादा/(Commitment) मान्य नहीं होगा।

....

हस्ताक्षर आवेदक हस्ताक्षर संयुक्त आवेदक

आवेदन क्रमांकः..................

शपथ पत्र–1

आवेदक एवं सह–आवेदक दोनों के अलग–अलग शपथ पत्र अनिवार्य है

मैं...पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री...जाति...........हाल निवासी...................................
....जिला.....................में निवास करता/करती हूँ।

राज्य सरकार की मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत..............................की आवासीय परियोजना को भलीभांति जानकर, पढ़ कर मेरे द्वारा आवेदन पत्र ....आय वर्ग आवास/बहुमंजिला आवास हेतु भेजा जा रहा है। मैं शपथ पत्र के माध्यम से स्वीकार करता/करती हूँ किः

1. पारदर्शिता के आधार पर कम्पनी..........................द्वारा निकाली गई लॉटरी में योजना के किसी भी तल पर जो आवास मुझे आवंटित होगा, वह स्वीकार होगा।
2. मेरे/हमारे द्वारा पंजीकरण पुस्तिका में दी गई समस्त शर्तों का पालन किया जायेगा।
3. मेरे/हमारे द्वारा पंजीकरण पुस्तिका में आवास आवंटित होने पर विभिन्न चरणों में देय राशि उचित समय पर मेरे द्वारा अदा की जायेगी।
4. मेरे/हमारे द्वारा अगर बैंक से ऋण राशि प्राप्त की जाती है तो उसके विरूद्व मेरे/हमारे आवास को प्रोविजनल आवंटन/आरक्षण /मूल आवंटन पत्र बैंक के पास गिरवी रखा जाता है तो उसमें हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।
5. यह कि अगर हमें/मुझे ऋण किसी कारण से स्वीकृत नहीं होता है तो कम्पनी किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगी।
6. यह कि मेरे पंजीकरण, 20........... में..आय वर्ग में आवास हेतु आवेदन–पत्र संख्या................... ....के द्वारा आवेदन किया है।
7. यह कि मेरे द्वारा आवास आवंटन से सम्बन्धित योजना के नियमों का अध्ययन कर लिया गया है एवं मेरे फ्लैट आवंटन करने के आवेदन मात्र से मुझे फ्लैट अलॉट करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता हैं।
8. यह कि उक्त आवेदन पत्र के तहत पंजीकरण होने के पश्चात कम्पनी द्वारा समय–समय पर आवास से सम्बन्धित मांग, मेरे द्वारा निर्धारित अवधि में जमा नहीं करवायी जाती है, तो कम्पनी बिना सूचना दिये पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने की अधिकारी होगी।
9. यह कि मेरे स्वयं की गलती के कारण कम्पनी द्वारा उक्त पंजीकरण/आवंटन निरस्त किया जाता है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा।

(नोटराइज़्ड सत्यापन) (आवेदक के हस्ताक्षर)

(शपथ पत्र..........रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

पैरा नं. 1 से 9 मेरी निजी ज्ञान में सही है। कोई भी तथ्य छुपाया व घटाया नहीं है। ईश्वर मेरी मदद करे।

आवेदन क्रमांकः..................

समस्त आवेदकों के लिए

शपथ पत्र–2

आवेदक एवं सह–आवेदक दोनों के अलग–अलग शपथ पत्र अनिवार्य है

मैं..पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री..सशपथ प्रमाण करता / करती हूँ।

1. मैं भारत का / की नागरिक हूँ।

2. मेरे स्वयं अथवा मेरी पत्नी / पति या मुझ पर आश्रित सम्बन्धी के पास राजस्थान में फ्री होल्ड अथवा लीज होल्ड, किसी भी प्रकार का पूर्ण या आंशिक फ्लैट / भूखण्ड नहीं है।

3. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कथन तथा आवेदन पत्र में दिये सभी तथ्यों में कोई मिथ्या कथन नहीं किया गया है। यदि कोई ऐसी बात कम्पनी के संज्ञान में आती हैं तो आवेदन पत्र / आवंटन पत्र को निरस्त करने के साथ मेरे विरूद्व कानूनी कार्यवाही करने के लिए कम्पनी स्वतंत्र होगी।

4. यह कि मेरे द्वारा ....स्थित कम्पनी की..............................योजना में भी आवेदन किया गया है। यदि उक्त योजना में भी मुझे आरक्षित कर लिया जाता है तो मैं किसी भी एक योजना में ही आरक्षण की पात्रता रखूंगा / रखूंगी तथा दूसरी योजना का रिफण्ड स्वतः ही प्राप्त कर लूंगा / लूंगी।

(हस्ताक्षर शपथग्रहिता)

सत्यापन

मैं..पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री..निवासी.. ....सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता / करती हूँ कि उपरोक्त पैरा 1 से 5 में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं वे मेरी निजी जानकरी में पूर्णतया सत्य हैं। मैंने कोई तथ्य छिपाया नहीं है। ईश्वर मेरा सहायक है।

शपथग्रहिता के हस्ताक्षर / निशानी अंगूठा

(नोटराईज़्ड सत्यापन)

(शपथ पत्र.........रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

समस्त आवेदकों के लिए

आवेदन क्रमांकः..................

शपथ पत्र–3

आवेदक एवं सह–आवेदक दोनों के अलग–अलग शपथ पत्र अनिवार्य है

मैं .... पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री..आयु.................वर्ष, जाति.................................
निवासी...सशपथ बयान करता / करती हूँ।

1. मैं / मेरे परिवार की वर्ष.....................में वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से निम्न प्रकार थी:
   (अ) स्वयं की आय, व्यापार, उद्योग, एजेन्सी, कृषि, दुकान का अन्य स्त्रोतों से वार्षिक आय...........................रूपये थी।
   (ब) मेरे पति / पत्नी, अवयस्क पुत्र / पुत्री / दत्तक पुत्र / पुत्री की व्यापार, उद्योग, एजेन्सी दुकान अथवा कृषि एवं अन्य स्त्रोतों से वार्षिक आय..................................रूपये थी।
   (स) कि वित्तीय वर्ष....................में परिवार की कुल आमदनी...............................रूपये थी।

शपथग्रहिता के हस्ताक्षर / निशानी अंगूठा

सत्यापन

मैं..पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री..निवासी..
........................अनुसार सत्य है, तथा मैंने कोई तथ्य छिपाया नहीं है। ईश्वर मेरा सहायक है।

(नोटराईज़्ड सत्यापन) शपथग्रहिता के हस्ताक्षर / निशानी अंगूठा

(शपथ पत्र.........रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर होना पर चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

एस.डी.ओ. / तहसीलदार
सत्यापित

वेतन भोगी आवेदकों के लिए
आय प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती.. पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री..
इस विभाग / उपक्रम / कम्पनी / संस्था (विभाग / संस्था का नाम) में...(पद का नाम) पर कार्यरत हैं एवं ये (केन्द्र सरकार राजस्थान / राजस्थान सरकार के उपक्रम / प्राईवेट सेक्टर के) नियमित कर्मचारी हैं। इनकी सकल वार्षिक आय वित्तीय वर्ष...................में ....रूपये है।

हस्ताक्षर
आवेदन प्राप्तकर्ता

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय मोहर
विभाग / उपक्रम / कम्पनी / संस्था का नाम

आवेदन क्रमांकः..................

Nirman Builders

मुख्यमंत्री जन आवास योजना

(...............................)

अभिव्यक्ति पत्र

आवेदक का फोटो

प्रोजेक्ट व शहर का नामः

1. आवेदक/आवेदिका का नाम (अंग्रेजी में)..

   आवेदक/आवेदिका का नाम (हिन्दी में)..

2. पिता/पति का नाम ....

3. जन्म तिथि .... 4. राष्ट्रीयता ....

5. पत्र व्यवहार का पता ....

   .... पिन कोड..................................

   स्थायी पता ....

   .... पिन कोड ....

   दूरभाष.. मोबाईल..................................

6. आधार कार्ड संख्या/भामाशाह कार्ड/यूनिक पहचान–पत्र संख्या/पैन कार्ड संख्या/मतदाता परिचय पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस

   ....

7. व्यवसाय का स्वरूप..

8. आवेदक/आवेदिका की कुल वार्षिक आय (वित्तीय वर्ष..................................)

   1. स्वयं की..
   2. पति/पत्नी की..
   3. आश्रित की..
   4. अन्य स्त्रोतों की ....

   कुल आय ....

आवेदन क्रमांकः...................

आवेदकों के लिए

9. पंजीकरण हेतु मकान की श्रेणी ( ) अंकित करें। EWS ☐ LIG ☐

10. राशि जमा कराई गई बैंक का नाम .... शाखा ....

राशि (अंको में).. (शब्दों में) ....

ड्राफ्ट संख्या... दिनांक ....

11. आवेदक की बचत खाता संख्या..बैंक का नाम ....

शहर का नाम ....बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड.......................................

(जमा राशि लौटाने के प्रयोजन हेतु सूचना आवश्यक है)

12. आवेदक पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना सुश्चित करेंः–

(क) पंजीकरण शुल्क का बैंक ड्राफ्ट (ख) आय प्रमाण–पत्र

(ग) आवेदक की पहचान सम्बन्धी (राशन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/भामाशाह कार्ड/आधार कार्ड एवं अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र)

(घ) मूल निवास प्रमाण–पत्र

(च) अन्य प्रमाण–पत्र जो आपकी वर्ग (श्रेणी) के लिए आवश्यक हों।

दिनांक

सत्यापित

(नोटरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी)

हस्ताक्षर आवेदक

नाम ....

....

मुहर के साथ ....

आवेदन क्रमांकः...................

Nirman Builders

मुख्यमंत्री जन आवास योजना

(...............................)

अभिव्यक्ति पत्र

प्रोजेक्ट व शहर का नामः

संयुक्त आवेदक का फोटो

1. संयुक्त आवेदक/आवेदिका का नाम (अंग्रेजी में)..

   संयुक्त आवेदक/आवेदिका का नाम (हिन्दी में)..

2. पिता/पति का नाम ....

3. जन्म तिथि .... 4. राष्ट्रीयता ....

5. पत्र व्यवहार का पता ....

   .... पिन कोड.......................................

   स्थायी पता ....

   .... पिन कोड ....

   दूरभाष.. मोबाईल..

6. आधार कार्ड संख्या/भामाशाह कार्ड/यूनिक पहचान–पत्र संख्या/पैन कार्ड संख्या/मतदाता परिचय पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस

   ....

7. व्यवसाय का स्वरूप..

8. संयुक्त आवेदक/आवेदिका की कुल वार्षिक आय (वित्तीय वर्ष..................................)

   1. स्वयं की...
   2. पति/पत्नी की..
   3. आश्रित की..
   4. अन्य स्त्रोतों की ....

   कुल आय ....

आवेदन क्रमांकः..................

आवेदकों के लिए

9. पंजीकरण हेतु मकान की श्रेणी ( ) अंकित करें। EWS ☐ LIG ☐

10. राशि जमा कराई गई बैंक का नाम .... शाखा ....

राशि (अंको में)... (शब्दों में) ....

ड्राफ्ट संख्या.. दिनांक ....

11. आवेदक की बचत खाता संख्या..बैंक का नाम ....

शहर का नाम ....बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड......................................

(जमा राशि लौटाने के प्रयोजन हेतु सूचना आवश्यक है)

12. आवेदक पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना सुश्चित करेंः–

(क) पंजीकरण शुल्क का बैंक ड्राफ्ट (ख) आय प्रमाण–पत्र

(ग) आवेदक की पहचान सम्बन्धी (राशन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/भामाशाह कार्ड/आधार कार्ड एवं अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र)

(घ) मूल निवास प्रमाण–पत्र

(च) अन्य प्रमाण–पत्र जो आपकी वर्ग (श्रेणी) के लिए आवश्यक हों।

दिनांक

सत्यापित

(नोटरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी)

हस्ताक्षर संयुक्त आवेदक

नाम ....

....

मुहर के साथ ....

आवेदन क्रमांकः..................

Nirman Builders

कन्स्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेन्ट प्लान (Tower A (G+6)

On Booking	**10%**
On Start of Foundation	**15%**
On Start of Ground Floor Slab Casting	**10%**
On Start of 1st Floor Slab Casting	**10%**
On Start of 2nd Floor Slab Casting	**10%**
On Start of 3rd Floor Slab Casting	**10%**
On Start of 4th Floor Slab Casting	**10%**
On Start of 5th Floor Slab Casting	**10%**
On Start of 6th Floor Slab Casting	**10%**
On Possession + IFMS	**5%**
TOTAL	**100%**

हर आवंटी को परियोजना के रख रखाव के लिए 80 रूपये प्रति वर्ग फीट की दर से सोसायटी के कॉर्पस फण्ड के लिए, फ्लैट का कब्जा लेते वक्त देना होगा, जो कि फ्लैट की कीमत के अतिरिक्त होगा। उक्त कॉर्पस फण्ड सोसायटी के खाते में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

Please pay all dues in the name of **"NIRMAN BUILDERS"**
through crossed cheque/DD only.

....

हस्ताक्षर आवेदक हस्ताक्षर संयुक्त आवेदक

आवेदन क्रमांकः..................

Nirman Builders

कन्स्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेन्ट प्लान (Tower A (G+7)

On Booking	**10%**
On Start of Foundation	**10%**
On Start of Ground Floor Slab Casting	**10%**
On Start of 1st Floor Slab Casting	**10%**
On Start of 2nd Floor Slab Casting	**10%**
On Start of 3rd Floor Slab Casting	**10%**
On Start of 4th Floor Slab Casting	**10%**
On Start of 5th Floor Slab Casting	**10%**
On Start of 6th Floor Slab Casting	**10%**
On Start of 7th Floor Slab Casting	**05%**
On Possession + IFMS	**05%**
TOTAL	**100%**

हर आवंटी को परियोजना के रख रखाव के लिए 80 रूपये प्रति वर्ग फीट की दर से सोसायटी के कॉर्पस फण्ड के लिए, फ्लैट का कब्जा लेते वक्त देना होगा, जो कि फ्लैट की कीमत के अतिरिक्त होगा। उक्त कॉर्पस फण्ड सोसायटी के खाते में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

Please pay all dues in the name of **"NIRMAN BUILDERS"**
through crossed cheque/DD only.

....

हस्ताक्षर आवेदक

....

हस्ताक्षर संयुक्त आवेदक

आवेदन क्रमांकः...................

Nirman Builders

कम्पनी द्वारा भरने हेतु

वरीयता संख्या .... दिनांक...

संलग्न दस्तावेजों की सूचीः	आवेदक	सह आवेदक
(1) आय प्रमाण–पत्र एस.डी.ओ./तहसीलदार नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका के समक्ष अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र	☐	☐
(2) राजस्थान के किसी शहर में आवास या भूखण्ड नहीं होने बाबत् शपथ पत्र/प्रमाण पत्र	☐	☐
(3) आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होने का बोनाफाइड प्रमाण पत्र	☐	☐
(4) पहचान पत्र की सत्यापित प्रति	☐	☐
(5) आधार कार्ड की सत्यापित प्रति	☐	☐
(6) देय राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट	☐	☐
(7) सोसायटी की देय राशि के लिए शपथ पत्र	☐	☐
(8) अन्य प्रमाणपत्र जो भी हो	☐	☐
(9) आई टी आर फाईल की सत्यापित प्रति	☐	☐
(10) पैन कार्ड की सत्यापित प्रति	☐	☐
(11) 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट	☐	☐
(12) शारीरिक विकलांगता का शपथ पत्र/प्रमाण पत्र	☐	☐

हस्ताक्षर आवेदन प्राप्तकर्ता   हस्ताक्षर आवेदन निरीक्षक

....

हस्ताक्षर आवेदक   हस्ताक्षर संयुक्त आवेदक

आवेदन क्रमांक: ....

यूनिट प्लान

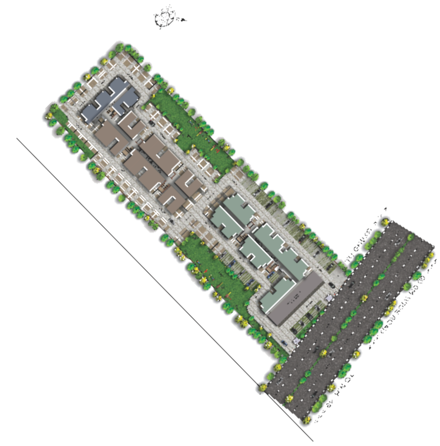

KEY PLAN

3 BHK
Saleable Area - 900 Sq Ft

यूनिट प्लान

2 BHK
Saleable Area - 670 Sq Ft

1 BHK
Saleable Area - 410 Sq Ft

सुख सुविधायें

- क्लब
- जॉगिंग ट्रॅक – लॉन
- किड्स प्ले एरिया
- सोसाइटी फंक्शन लॉन
- ओल्ड एज जोन
- सी सी टी वी कैमरा सेक्योरिटी
- लिफ्ट
- कॉमन एरिया
- आउटडोर जिम
- मंदिर
- ग्रीन लैंडस्केप
- पार्किंग
- रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम
- एरिया लाइटिंग

KEY PLAN

1 BHK | 2 BHK | 3 BHK

सम्पर्क करें

74-19-27-1111

NIRMAN BUILDERS

sales@nirman-builders.in I www.nirman-builders.in

Site Office Address: Nirman Builders : Utsav, 200 Ft Road,
RIICO Industrial Estate Road, Ghiloth, Neemrana, Raj, INDIA

In association with

NIRMAN BUILDERS